


भारत का राज
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 489] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1984/पौष 10, 1906
No. 489] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 31, 1984/PAUSA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विन संज्ञानय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1984

सं. 232/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 839 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,
1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स 99/84-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1984” अको और शब्द के स्थान पर “30 जून, 1985” अक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा स 90/11/84-के उ शू -3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1984

No. 232/84-CENTRAL EXCISES

GSR 839(É).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 99/84-Central Excises, dated the 30th April, 1984, namely.—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of December, 1984”, the figures, letters and words “30th day of June, 1985”, shall be substituted.

[F. No. 90/11/84CX3]

C. MATHUR, Under Secy.